इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-12.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट- गाली गलौज करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03-03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 500-500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट- गाली गलौज करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 03-03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 500-500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.02.2016 को थाना वादी कौशल किशोर पुत्र धनीराम ग्राम अहेरीपुर थाना वकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तो द्वारा उसके घर में घुस कर गाली गलौज मारपीट की गई जिसके संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 61/16 धारा 147/148/148/323/504/506/452/354/324 भादवि व 3(1) RS SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी भरथना द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम पैरोकार का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री कृष्ण सहाय शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 12.02.2024 को अन्तर्गत धारा 147/148/452/323/324/354/ भादवि में मा0 न्यायालय स्पेशल जज SC/ST एक्ट जनपद इटावा द्वारा 03-03 वर्ष के कारावास की सजा तथा 500-500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. श्रीराम उर्फ देवेन्द्र पुत्र बालस्टर सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।
2. कल्लू उर्फ अरूण पुत्र बालस्टर सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।
3. उदयवीर पुत्र लोटन सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।
4. ऊधम सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।
5. गोलू उर्फ धीरेन्द्र पुत्र ऊधम सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।
6. छोटू सिंह उर्फ अंकुश पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम अहेरीपुर थाना बकेवर इटावा।